Pratap Singh (Chhatisgarh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Rambhai Mokariya (Gujarat), Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shrimati Maya Narolia (Madhya Pradesh), Shri Dharmshila Gupta (Bihar), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shrimata Sulata Deo (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur).

...(Interruptions)...

श्री जयराम रमेशः यह सरासर असत्य है। ...(**व्यवधान**)... ये बिल्कुल असत्य बोलते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, एक सेकंड रुकिए। मैं आपको बताता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान, जो कि हस्ताक्षरित है, वही हमारा संविधान है। उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं, वे इसका हिस्सा हैं। यह निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है, जिसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए, वही प्रसारित होना चाहिए। यदि कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है, मतान्तर है, तो वह किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तख्त किए हैं, वह उसका अभिन्न अंग है। वे 22 कृतियाँ, जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5 हज़ार साल दर्शाती हैं ...(**व्यवधान**)... एक सेकंड, रुकिए। आज के दिन, यदि कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, तो उसमें ये नहीं हैं और यह अनुचित है। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तख्त किए हैं, उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है, जितना संसद स्वीकार करती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः क्या यह संविधान नहीं है?

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

श्री सभापतिः उसके अलावा कोई भी बदलाव, किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे वह न्यायिक व्यवस्था ही हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया, वही संविधान की अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह रोज देखने को मिलती है। छात्रों को पता नहीं है। आपको किसी पुस्तक में वे 22 कृतियाँ नहीं दिखाई देती हैं। मैं सभी से आग्रह करूँगा... ...(**व्यवधान**)... I have no doubt and I am categorical that the Constitution signed by the founding fathers of the Constitution, carrying 22 miniatures, is the only authentic one and it can include amendments by the Parliament. If there is any change effected by judiciary or any institution that is not acceptable to this House.

I will appeal to the Leader of the House to ensure that there is only the authentic version of the Indian Constitution in the country. Any violation of this should be taken quite seriously by the Government and severe action be taken. Now, the Leader of the Opposition.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION — *Contd.*

Demand for Inclusion of 22 Illustrations from First Illustrated Manuscript of India's Constitution in Re-printed Constitution — *Contd.*

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, कॉंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ कि ये इसे अनावश्यक उठा रहे हैं। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने जो कॉंस्टीट्यूशन बनाया, उसे controversy में लाना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... उसे controversy में लाकर यह कहना चाहते हैं कि वहाँ पर कृष्ण ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी, अम्बेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... अम्बेडकर जी ने जो कहा, वह जमीनी हकीकत होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी सीधी बात ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we will not have discussion on this.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, जब 1952 में कॉंस्टीट्यूशन implement हुआ, उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभभाई पटेल थे, कॉंस्टीट्यूशन असेम्बली के सभी मेम्बर्स थे। ...(**व्यवधान**)... उस वक्त आपको कोई बदलाव नहीं दिखा। ...(**व्यवधान**)... जो आपके मुखर्जी जी हैं, वे भी थे। ...(**व्यवधान**)... लेकिन, आज आप नए-नए शब्द ला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है। ...(**व्यवधान**)... यह संविधान में कहाँ है? ...(**व्यवधान**)... मुझे बताइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: हाँ। ...(**व्यवधान**)... मैं बताता हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं बताता हूँ। ...(**व्यवधान**)...